

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(G-1 किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2016 / 4454

दिनांक: 19-12-16

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं. 11460/2015 सुल्तान सिंह एवं बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक:-19.09.2016 के द्वारा निम्न विश्वविद्यालयों को पैरामेडिकल डिप्लोमा देने हेतु अमान्य माना गया है।

1. निम्स विश्वविद्यालय दिल्ली रोड जयपुर।

अतः राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में उक्त विश्वविद्यालय के डिप्लोमा धारियों के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत समस्त पंजीयन आवेदनो एवं पूर्व में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयत डिप्लोमा धारियों के पंजीयन प्रमाण पत्रों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

नोट :- माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा डीबी स्पेशल अपील (W) 1342/2011 निर्णय दिनांक 29.01.2014 एवं सिविल रिट पिटीशन सं. 5953/2009 एवं सिविल रिट पिटीशन सं. 1036/2012 निर्णय दिनांक 11.04.2014 के क्रम में जिन पैरामेडिकोज ने एक्स-रे टैक्नीशियन एव लैब टैक्नीशियन का कोर्स एक वर्ष तकनीकी शिक्षा बोर्ड जोधपुर एवं एक वर्ष निम्स विश्वविद्यालय जयपुर कर रखा है। उन अभ्यर्थियों का डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय अनुसार मान्य माना जायेगा।


रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2016 / 4454

दिनांक: 19-12-16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3), शासन सचिवालय जयपुर।
4. अध्यक्ष, महोदय राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर।
6. रजिस्ट्रार संबन्धित विश्वविद्यालय.....।
7. सम्बन्धित पैरामेडिकोज।
8. प्रभारी सर्वर रूम, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार